



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072026-274382  
CG-DL-E-11072026-274382

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3611]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3611]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

**का.आ. 3773(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **S.O.928 (E)** तारीख **19/02/2026**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मिजोरम राज्य के ऐज़ौल जिले में NH54 के कि.मी. 8.292 से कि.मी.69 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "वेंगलाइनी" और "न्यूज़लिंग" दोनों 22 और 23 मार्च, 2026 को प्रकाशित हुए। में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

मिजोरम राज्य के ऐज़ौल जिले में NH54 के कि.मी. 8.292 से कि.मी.69 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मिजोरम			जिले का नाम: ऐज़ौल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: तलंगनुयम					
गांव का नाम: चिरिअल					
1	वीसी 19 ओऍफ़ 2014	निजी	ड्राय	0.0036	लालमंगी
2	वीसी 20 ओऍफ़ 2006	निजी	ड्राय	0.00474	वनलालरोवा
3	वीसी 34 ओऍफ़ 2003	निजी	ड्राय	0.0008	वनलालरोवा
गांव का नाम: ज़ेमाबाक्क					
4	ऍलऍस्सी 1808 ओऍफ़ 2006	निजी	ड्राय	0.0255	थंगमांगा
5	ऍलऍस्सी 1809 ओऍफ़ 2006	निजी	ड्राय	0.006	थंगमांगा
<b>Total</b>				<b>0.04064</b>	

[फ़ा. सं. NHIDCL/BO AIZAWL/PACKAGE 1/01/3D1]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2026

**S.O. 3773(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O.928 (E) Dated:19/02/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH54 in the stretch of land from Km. 8.292 to Km. 69 in the district of AIZAWL in the state of MIZORAM;

And whereas the substance of the said notification has been published in VANGLAINI" and "NEWSLINK" both date on 22 & 23 March, 2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH54 in the stretch of land from Km. 8.292 to Km. 69 in the district of AIZAWL in the state of MIZORAM

State: MIZORAM			District: AIZAWL		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Tlangnuam</b>					
<b>Village: Tuirial</b>					
1	VC 19 OF 2014	Private	Dry	0.0036	Lalmangi
2	VC 20 OF 2006	Private	Dry	0.00474	Vanlalrova
3	VC 34 OF 2003	Private	Dry	0.0008	Vanlalrova
<b>Village: Zemabawk</b>					
4	LSC 1808 OF 2006	Private	Dry	0.0255	Thangmanga
5	LSC 1809 OF 2006	Private	Dry	0.006	Thangmanga
<b>Total</b>				<b>0.04064</b>	

[F. No. NHIDCL/BO AIZAWL/PACKAGE 1/01/3D1]

SHAIKH AMINKHAN, Director